भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2560

दिनांक 05 अगस्त, 2025

खरपतवारनाशक प्रतिरोधी बी टी कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी

2560. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में खरपतवारनाशक प्रतिरोधी बी टी कपास (एचटीबीटी) की व्यावसायिक खेती के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी (जीईएसी) द्वारा अनिवार्य अनुमोदन जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख) : बोलगार्ड II राउंडअप रेडी फ्लेक्स (BG-II RRF), जिसे HT बीटी कॉटन भी कहा जाता है, को पर्यावरणीय रूप से जारी करने का एक प्रस्ताव वर्तमान में आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC) के पास विचाराधीन है। खतरनाक अति सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत सूक्ष्म जीवों अथवा कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारण के नियम, 1989, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है, के अनुसार प्रयोगात्मक खेत परीक्षणों सहित आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत सूक्ष्म जीवों तथा उत्पादों को पर्यावरण में जारी करने (छोड़ने) से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए GEAC एक सक्षम प्राधिकरण है।

****